न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 71/2020 जिला–सीकर।

1. घीसाराम पुत्र हुक्माराम।
2. बाबुडी देवी पुत्री घीसाराम पत्नि स्व0 श्री झाबरमल
   समस्त जाति जाट निवासीगण जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. पटवारी हल्का, सीमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 28.02.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्टस् श्री सुल्तान सिंह कुडी।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.02.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 848 दिनाक 21.12.2016 के द्वारा ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 115, 151, 150, 149, 146, 146/723, 185/1, 191, 192 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम जलालपुर के खसरा नम्बर 115, 151, 150, 149, 146, 146/723, 185/1, 191, 192 में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 28.02.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 0.62 है0 एवं खसरा नम्बर 192 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 रकबा 1.45 है0 राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित हैं। जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/2 एवं अपीलांट संख्या 01 के भाई गोमा पिता हुक्मा का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। नामान्तकरण संख्या 524 दिनांक 22.01.2013 अनुसार बटवारा से उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट संख्या 01 के नाम दर्ज हो गया। नामान्तकरण संख्या 671 दिनांक 07.07.2017 द्वारा जरिये उपहार लेख घीसा पिता हुक्मा से अपीलांट संख्या 02 बाबुडी पुत्री घीसा पत्नि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

स्व0 श्री झाबरमल के नाम स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का सीमारला जागीर द्वारा प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बर में रास्ता चालू रहकर प्रचलित एवं सार्वजनिक उपयोग में आना बताकर गलत प्रस्ताव बिना दिनांकित प्रेषित किया है। खसरा नम्बर 192 रकबा 0.863 है0 अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि है जिसकी किस्म रिकार्ड में ढहरी –2 दर्ज है। प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौके जांच, सीमाज्ञान नही करवाया एवं मौके व रिकार्ड के विपरीत उल्लेखित कर अपीलांटस की भूमि में से 0.07 है0 भूमि घटाते हुए रास्ता दर्शाया है जबकि अपीलांट् की भूमि में से कोई रास्ता मौजूद नही है ना ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। पटवारी हल्का ने दीगर खातेदारो को नाजायज लाभ पहुचाने के उददेश्य से उनके कथनानुसार कार्यालय में बैठकर प्रस्ताव तैयार किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं नियमो में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व अधिकारियो को भूमियो के संबंध किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व खातेदारो/हितबद्ध व्यक्तियो को सूचित किया जाना आवश्यक है लेकिन कोई सूचना प्रेषित नही की, ना ही विधिक प्रावधानो की पालना की है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015–2016 दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 02.11.2016 में मात्र सार्वजनिक उपयोग के आम रास्ता का कंकन करने हेतु निर्देशित किया है। किसी निजी एवं खातेदारी भूमि में नही। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आपेक्षित आदेश दिनांक 28.02.2019 की पालना में पटवारी हल्का सिमारला जागीर द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 192 के उत्तरी तरफ पूर्व–पश्चिम लम्बाई में लाल स्याही से अपीलांटस की भूमि में रास्ते का अंकन करते हुये खसरा नम्बर 730/192 रास्ता दर्शित किया है। अगर नया रास्ता कायत किया जाता है तो नया रास्ता कायम करते वक्त कायम भूमियो की कायम सीमाओ के दोनो तरफ अर्थात बराबर–बराबर भूमियां लेकर निकाला जाता है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का आपेक्षित आदेश दिनांक 28.02.2019 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, नियम एवं प्रचलित विधि के प्रावधानो के विरूद्ध होकर माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयो के निर्णयो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 28.02.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2019 का है लेकिन अपीलांटस् को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 20.02.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 115, 151, 150, 149, 146, 146/723, 185/1, 191, 192 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 21.12.2016 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का सिमारला जागीर, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्टस् में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 21.12.2016 के अनुसार ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 115, 151,

Scanned by CamScanner

150, 149, 146, 146/723, 185/1, 191, 192 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2019 पारित किया गया है।

8. हम समझते है कि अपीलांटस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2019 से प्रभावित एवं हितवद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 192 के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांटस् को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

9. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित उवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner